भारत सरकार
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त
महावीर नगर प्रथम, झालावाड रोड
कोटा– 324005 राजस्थान

F.No.I(22)-2/Adm/2014- Dated 25.02.2014

विज्ञप्ति

इस कार्यालय के अधीनस्थ जिला अफीम अधिकारी कार्यालयो के विभिन्न तौल केन्द्रो जैसे झालावाड, निम्बाहेडा, सिंगोली याम, भीलवाडा, चित्तौडगढ, छोटीसादडी, प्रतापगढ तथा चित्तौडगढ अफीम गोदाम इत्यादि पर माह अप्रैल 2014 के प्रथम सप्ताह से तृतीय सप्ताह तक, अफीम तौल का कार्य किया जाएगा, जिसमें होने वाली विभिन्न गतिविधीयों को जनसाधारण को द ानि के लिए, सर्वर नेटवर्क रिर्कोडिंग एवं मुख्यालयों पर सीधे प्रसारण हेतु क्युब कैमरों को, उपरोक्त विभिन्न तौल केन्द्रो पर लगाए जाने हेतु निविदाएं आमन्त्रिंत की जाती है। प्रत्येक तौल केन्द्र पर 6 क्युब कैमरे लगाए जाएगे, जिनकी संख्या घटाई व बढाई भी जा सकती है। क्युब कैमरो एवं सर्वर का विवरण, निम्नलिखित वि िाश्टी से कम नही होना चाहिए।

क. सं.	नाम उपकरण	Specifications
1	Cube/VGA Camera	Lences 4 mm to 16 mm changeable Min. Image resolution 640x480 Frame rate 50 Hz:25 fps (640x480), 60Hz:30 fps(640x480) Shutter time 1/25S~1/100,000s, Wi Fi enable,
2	NVR Server	Mimimum 8 vedio & audio input network enable, Storage capacity for atleast 1 month
	The above camera & the server box must have U-L Certification i.e. Electrical device under elctrical business equipment tested & passed by approved laboratory.	

नियम व शर्ते

1. उपरोक्त क्यूब कैमरों को विभिन्न तौल केन्द्रों पर माह अप्रेल में, सम्बंधित जिला अफीम अधिकारी के निर्दे ाानुसार स्थापित करना होगा। निविदादाता को कैमरो, सर्वर बाक्स एवं कैमरो को स्थापित करने में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण एवं संसाधन स्वयं उपलब्ध कराने होगें। किसी प्रकार का कोई भी उपकरण एवं संसाधन विभाग द्वारा देय नही होगा, ना ही इसके लिए अलग से कोई चार्ज देय होगा।
2. कैमरो को लगातार 24 घन्टे चालु रखने एवं निर्दे ाानुसार रिर्काडिगं करने हेतु आव यक सहायक/सहायको, जिन्हे इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी हो, निविदादाता द्वारा लगातार अफीम तौल केन्द्रों पर उपलब्ध कराने होगें। समस्त कैमरो को तौल केन्द्र पर लगाने (Installation), तौल के दौरान समस्त रखरखाव (Maintenance), नियमित चलाने, रिर्काडिग एवं लाईव प्रसारण की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
3. निविदा प्रति कैमरा प्रति दिन मय सर्वर बाक्स एवं सभी उपकरण संसाधनो को सम्मिलित करते हुए देनी होगी, जिस पर **"अफीम तौल कार्य हेतु क्युब कैमरो की निविदा"** अंकित होना चाहिए। किसी भी प्रकार के कर (taxes) आदि का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा।
4. सभी केन्द्रो पर लगाए गए कैमरो द्वारा सीधा प्रसारण मुख्यालयों जैसे कोटा एवं ग्वालियर आदि पर एच डी क्वालिटी होना आव यक है तथा सीधे प्रसारण की रिर्कोडिग सुविधा मुख्यालयों पर भी उपलब्ध करवानी होगी।
5. सील्ड निविदा दिनांक **06.03.14** को 18.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। निविदा दिनांक **07.03.14** को 11.00 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोली जाएगी।
6. निविदादाताओं को प्रति निविदा धरोहर राशि रूपये 25000/–(पच्चीस हजार मात्र) का ड्राफ्ट जो **अधीक्षक कार्यपालक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा** के नाम देय होगा, निविदा के साथ संलग्न कराना होगा।
7. दैनिक रिकॉर्डिंग की ऑडियो एवं विडियो सी.डी. /डी.वी.डी. विभाग द्वारा निविदादाता को उपलब्ध कराई जाएगी। दैनिक रिकॉर्डिंग की डी.वी.डी. जिला अफीम अधिकारी के निर्दे ाानुसार तैयार कर देनी होगी।
8. स्वीकृत निविदा वाली फर्म को इस विभाग के बन्दौबस्त केन्द्रो (छः केन्द्र 4 कैमरे प्रत्येक) पर भी उसी दर एवं भार्ता पर कार्य करना होगा। जो माह सितम्बर अथवा अक्टुबर में भाुरू होगा।

9. यदि कोई भी कैमरा खराब/बन्द होता है तो उसे तुरन्त चलाना/बदलना होगा।
10. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किए जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धरोहर रा ी भी जप्त की जा सकती है।
11. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही कोटा न्यायालय के अधीन होगी।
12. सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा। किसी भी निविदा / सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने अथवा नई निविदा आमंत्रित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।

आज्ञा से
(सीताराम शर्मा)
उप नारकोटिक्स आयुक्त,
राजस्थान, कोटा,।